राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2132/2013/उदयपुर.
2. अपील संख्या – 2133/2013/उदयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–चतुर्थ, वृत्त–बी, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स तुषार मार्केटिंग, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/09/2016

निर्णय

1. ये दोनों अपीलें राजस्व द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 34 व 35/वेट/2012–13/उदयपुर, आदेश दिनांक 08.05.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 08.05.2013 के द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत्त–सी, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के कर निर्धारण वर्ष 2007–08 व 2008–09 पारित आदेश दिनांक 29.03.2012 के द्वारा वेट अधिनियम की धारा 61 में आरोपित शास्ति राशि, क्रमशः रूपये 57,850/– व रूपये 6,43,368/– को अपास्त किया है, को विवादित किया है।

2. दोनों अपीलों में समान बिन्दु निहित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। आदेश की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जा रही है।

3. प्रकरण के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने दोनों कर निर्धारण वर्षों में बेचे गये माल ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी पर विहित कर 12.5 प्रतिशत/14 प्रतिशत से जमा नहीं करवाकर 4/5 प्रतिशत की दर से कर जमा कराने के कारण अन्तर कर, ब्याज व धारा 61 में शास्ति आरोपित की गई। अपीलीय प्राधिकारी ने कर व ब्याज की राशि को कायम रखते हुए धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया।

लगातार.....2

4. विभाग की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त करने के आदेश को त्रुटिपूर्ण होने का कथन किया तथा अपीलें स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत है तथा अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी ने समस्त बिक्री अपने लेखों में घोषित की है तथा प्रस्तुत विवरण पत्रों में दर्ज है। अपीलीय अधिकारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तामिलनाडू राज्य निर्णय दिनांक 21.04.2009** के प्रकाश में शास्ति अपास्त की है। निर्णय के अंश निम्न प्रकार हैं — "So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers turnover disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

7. अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती हैं।

8. निर्णय सुनाया गया।

(मनोहर पुरी)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष